तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गौरव सिंह बनाम रणजीत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट मु.नं.2549/2021	
01.04.2022	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पेश तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1ता 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थी का पिता हैं। अप्राथीगण संख्या 2 प्रार्थी का भाई हैं। प्रार्थी के पड़ दादा भूरसिंह जो ग्राम सुरनाणा के जागिरदार थें। जागिरदारी के समय से ही ग्राम सुरनाणा की सम्पूर्ण भूमि जारिगरदार के नाम से दर्ज थी। जागिरदारी समाप्त होने पर भूरसिंह की सम्पूर्ण भूमि भूरसिंह के पुत्र जुगलसिंह व भूरसिंह के पौत्र रणजीत सिंह, फतेह सिंह, लक्ष्मणसिंह के नाम अलग अलग दर्ज हुई जिसमें ग्राम रोही सुरनाणा के खसरा नम्बर 1 मिन तादादी 136.02 बीघा, खसरा नम्बर 1201 तादादी 157.05 बीघा कुल तादादी 29.07 बीघा भूमि थी। जिसके भू प्रबन्ध 2017 के खसरा नम्बर 10 तादादी 114.10 बीघा, खसरा नम्बर 53 तादादी 108.18 बीघा, खसरा नम्बर 179 तादादी 82 बीघा कुल तादादी 305.10 बीघा भूमि फतेह सिंह रणजीतसिंह पि0 जुगल सिंह रिकार्ड में दर्ज की गई उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 10 तादादी 114.10 बीघा रणजीत सिंह के नाम दर्ज कर दी गई व खसरा नम्बर 23 तादादी 173.15 बीघा का कुल तादादी 288.05 बीघा भूमि रणजीत सिंह के नाम से दर्ज हुई उपरोक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 10 के नये खसरा नम्बर 19 तादादी 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20 तादादी 3.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 तादादी 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 तादादी 24.46 हैक्टेयर तादादी 28.96 हैक्टेयर पुराने खसरा नम्बर 23 के नये खसरा नम्बर 64 तादादी 43.9500 हैक्टेयर कुल तादादी 72.91 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के पिता रणजीत सिंह के नाम दर्ज हुई उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के पड़ दादा भूरसिंह की है भूरसिह की भूमि जागिरदारी समाप्त होने पर उनके पुत्र जुगलसिंह व उनके पौत्र फतेह सिंह, रणजीतसिह, लक्ष्मणसिंह के नाम से अलग अलग दर्ज की गई उपरोक्त भूमि प्रार्थी के पड़दादा भूरसिंह की होने के कारण प्रार्थी का जन्म से कानूनी हक व हिस्सा है रणजीत सिंह के हिस्सा में आई तादादी 72.91 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा जन्म से बनता है प्रार्थी 1/3 की भूमि पर घरेलू बंटवारा के अनुसार लगातार काबिज एवं काश्त चला आ रहा हैं। भूमि पड़दादा भूरसिंह की भूमि है जागीरदार भूरसिंह की जागीरदारी होने पर भूरंसिंह की सम्पूर्ण भूमि में से प्रार्थी के पिता रणजीत सिंह का हिस्सा में 72.91 हैक्टेयर भूमि आई हैं। इसलिए उपरोक्त भूमि पुश्तैनी है पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी का जन्म से कानूनी 1/3 हिस्सा व हक है । अप्रार्थी द्वारा आपसी किसी बात पर बेचान कर दिया गया हैं। अब अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा कानूनी नहीं बचा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा में से ज्यादा की बेचान कर दिया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलकर खसरा नम्बर 64 की तादादी 43.95 हैक्टेयर भूमि बेचान पर उतारू है जबकि खसरा नम्बर 64 की तादादी 24.30 हैक्टेयर प्रार्थी को घरेलू बंटवारा के हिसाब से दी हुई है जिस पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त है अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी की कब्जाकाश्त की भूमि का कभी भी बेचान कर सकते हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की की जारी फरमायी जावे की वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरिया बेदखल न करे ना ही अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे। ना अन्य को प्रवेश करावे ना ही रहन विकय करे ना ही ऐसा कोई फैल या तर्क फैल करे जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ें। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kuma
Date: 2022.06.20 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार किया । अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में निवेदन किया कि उपरोक्त अनुवान का वाद व प्रार्थना पत्र बेबुनियाद, आधारहीन एवं खिलाफ कानून होन से मय खर्चा एवं हर्जा खारिज किया जाने योग्य हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य जिस तरह से लिखे है अस्वीकार है तथा इस पैरे में लिखे तथ्य अस्पष्ट होने से भी अस्वीकार हैं। स्व. भूरसिंह ग्राम सुरनाणा के जागीरदार थे तथा सम्पूर्ण ग्राम सुरनाणा की भूमि जागीरदार के नाम से थी अस्वीकार हैं। क्योंकि जागीर की भूमि जागीर समाप्त होते ही राजस्थान राज्य के नाम दर्ज हो गई। इस पैरे मे दर्ज यह तथ्य भी कि जागीरदारी समाप्त होने पर भूरसिंह की सम्पूर्ण भूमि भूरसिंह के पुत्र जुगलसिंह व भूरसिंह के पौत्र रणजीत सिंह, फतेहसिंह, लक्ष्मण सिंह के नाम अलग–अलग दर्ज हुई जिस तरह से लिखा है अस्वीकार हैं। वादगत खसरा नम्बर 1 मीन तादादी 136.02बीघा, खसरा नम्बर 1201 तादादी 157.05 बीघा तथा जिसके भू प्रबन्ध 2017 के खसरा नम्बर 10 तादादी 114.10 बीघा, खसरा नम्बर 53 तादादी 108.18 बीघा, खसरा नम्बर 179 तादादी 82 बीघा कुल तादादी 305.10 बीघा फतेहसिंह, रणजीतसिंह पि. जुगलसिंह के नाम रिकॉर्ड में दर्ज की गई जिस तरह से लिखा है अस्वीकार हैं। इसी पैरे में यह तथ्य कि वादगत खसरा नम्बर 10 तादादी 114.10 बीघा रणजीतसिंह के नाम दर्ज करना व खसरा नम्बर 23 तादादी 173.15 बीघा भूमि का कुल तादादी 288.05 बीघा रणजीत सिंह के नाम से दर्ज होना पुराने खसरा नम्बर 10 के नये खसरा नम्बर 19 तादादी 0.10 हैक्टेयर खसरा नम्बर 20 तादादी 3.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 तादादी 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 तादादी 24.46 हैक्टेयर तादादी 28.96 हैक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 23 के नये खसरा नम्बर 64 तादादी 43.95 हैक्टयर कुल तादादी 72.91 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के पिता रणजीतसिंह के नाम दर्ज हुई स्वीकार हैं। प्रार्थी का इस पैरे में यह कथन भी अस्वीकार है कि उपरोक्त भूमि पड़दादा भूरसिंह की हैं। वादगत भूमि कभी स्व. भूरसिंह के नाम नहीं रही हैं। इसलिए प्रार्थी का वादगत भूमि में जन्म से हक व हिस्सा नहीं है ना ही था। रणज़ीतसिंह अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्रार्थी का नहीं हैं। वादगत भूमि प्रार्थी के कभी भी कब्जे काश्त में नहीं रही ना ही आज प्रार्थी के कब्जे काश्त में है । वादगत 72.91 हैक्टेयर भूमि रणजीतसिंह अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त में है तथा रणजीतसिंह अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं।रणजीत सिंह अप्रार्थी संख्या 1 ही एक मात्र खातेदार हैं। पुराना खसरा नम्बर 1 मीन तादादी 136 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 12 मी. (जिसे वाद पत्र में वादी द्वारा खसरा नम्बर 1201 गलत दर्ज किया है) तादादी 157 बीघा 10 बिस्वा कुल 294 बीघा भूमि मौजा सुरनाणा सम्वत् 2011 गिरदावरी में काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 रणजीतसिंह के कब्जे में दर्ज की हुई हैं। जिसे सम्वत् 2013 की जमाबन्दी में भी रणजीतसिंह अप्रार्थी संख्या 1 को काश्तकार के रूप में दर्ज किया हैं। इसलिए वादगत भूमि कभी भी स्व. भूरसिंह की खुदकाश्त भूमि नहीं रही । बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 रणजीतसिंह की स्वयं की कब्जेकाश्त की भूमि रही हैं। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4 ता 11 को अस्वीकार किया गया।

प्रार्थी बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1ता 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थी का पिता हैं। अप्राथीगण संख्या 2 प्रार्थी का भाई हैं। प्रार्थी के पड़ दादा भूरसिंह जो ग्राम सुरनाणा के जागिरदार थें। जागिरदारी के समय से ही ग्राम सुरनाणा की सम्पूर्ण भूमि जारिगरदार के नाम से दर्ज थी।

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

जागिरदारी समाप्त होने पर भूरसिंह की सम्पूर्ण भूमि भूरसिंह के पुत्र
जुगलसिंह व भूरसिंह के पौत्र रणजीत सिंह, फतेह सिंह, लक्ष्मणसिंह
के नाम अलग अलग दर्ज हुई जिसमें ग्राम रोही सुरनाणा के खसरा
नम्बर 1 मिन तादादी 136.02 बीघा, खसरा नम्बर 1201 तादादी 157.
05 बीघा कुल तादादी 29.07 बीघा भूमि थी। जिसके भू प्रबन्ध 2017
के खसरा नम्बर 10 तादादी 114.10 बीघा, खसरा नम्बर 53 तादादी
108.18 बीघा, खसरा नंम्बर 179 तादादी 82 बीघा कुल तादादी 305.
10 बीघा भूमि फतेह सिंह रणजीतसिंह पि0 जुगल सिंह रिकार्ड में दर्ज
की गई उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 10 तादादी 114.10 बीघा
रणजीत सिंह के नाम दर्ज कर दी गई व खसरा नम्बर 23 तादादी
173.15 बीघा का कुल तादादी 288.05 बीघा भूमि रणजीत सिंह के
नाम से दर्ज हुई उपरोक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 10 के नये खसरा
नम्बर 19 तादादी 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20 तादादी 3.60
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 तादादी 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22
तादादी 24.46 हैक्टेयर तादादी 28.96 हैक्टेयर पुराने खसरा नम्बर 23
के नये खसरा नम्बर 64 तादादी 43.9500 हैक्टेयर कुल तादादी 72.91
हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के पिता रणजीत सिंह के नाम दर्ज हुई उपरोक्त
सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के पड़ दादा भूरसिंह की है भूरसिह की भूमि
जागिरदारी समाप्त होने पर उनके पुत्र जुगलसिंह व उनके पौत्र फतेह
सिंह, रणजीतसिह, लक्ष्मणसिंह के नाम से अलग अलग दर्ज की गई
उपरोक्त भूमि प्रार्थी के पड़दादा भूरसिंह की होने के कारण प्रार्थी का
जन्म से कानूनी हक व हिस्सा है। जबकि वकील अप्रार्थी द्वारा कहा
गया कि वादगत भूमि कभी स्व. भूरसिंह के नाम नहीं रही हैं। इसलिए
प्रार्थी का वादगत भूमि में जन्म से हक व हिस्सा नहीं है ना ही था।
रणजीतसिंह अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कोई हक
व हिस्सा प्रार्थी का नहीं हैं। वादगत भूमि प्रार्थी के कभी भी कब्जे
काश्त में नहीं रही ना ही आज प्रार्थी के कब्जे काश्त में है । वादगत
72.91 हैक्टेयर भूमि रणजीतसिंह अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त में
है तथा रणजीतसिंह अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज
हैं।रणजीत सिंह अप्रार्थी संख्या 1 ही एक मात्र खातेदार हैं। पुराना
खसरा नम्बर 1 मीन तादादी 136 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर
12 मी. (जिसे वाद पत्र में वादी द्वारा खसरा नम्बर 1201 गलत दर्ज
किया है) तादादी 157 बीघा 10 बिस्वा कुल 294 बीघा भूमि मौजा
सुरनाणा सम्वत् 2011 गिरदावरी में काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1
रणजीतसिंह के कब्जे में दर्ज की हुई हैं। जिसे सम्वत् 2013 की
जमाबन्दी में भी रणजीतसिंह अप्रार्थी संख्या 1 को काश्तकार के रूप
में दर्ज किया हैं। इसलिए वादगत भूमि कभी भी स्व. भूरसिंह की
खुदकाश्त भूमि नहीं रही । बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 रणजीतसिंह की
स्वयं की कब्जेकाश्त की भूमि रही हैं। इस लिये प्रार्थी का वादगत
भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के जीवन
काल में नहीं बनता इसलिये प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का
सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है इस लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय
कॉस्ट खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने [illegible]
समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये –

RRD 1997 page 399Deepchand & os. v. Shyamvati & a[illegible]
RBJ (7) 2000 page 20-23
RRD 1993 page 738-741
RRD 1993 page 342-345

राजपैरोकार द्वारा कथन किया गया की उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध
में राज्य का हित प्रभावित नहीं होता है। मुख्य विवाद पक्षकारो प्रार्थी
एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kuma
Date: 2022.06.20 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सूनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया उक्त प्रकरण को निस्तारित करने के लिये प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को प्रार्थी द्वारा साबित करना हैं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2013 में वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। प्रार्थी का वादगत भूमि पर किस आधार पर कब्जा काश्त है इस बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादगत भूमि पुरानी पैतृक रही हो और बादमे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई हो अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 8, जमाबन्दी संवत 2013–2016 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2018–21 से यह भलीभांती साबित है कि वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खुद काश्त की रही हैं। जो धारा 13 आरटीएक्ट के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुवे है जो अप्रार्थी संख्या 1 की खुदकाश्त की भूमि होने के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है वादगत भूमि खुदकाश्त भूमि स्वयं पैदाकर्ता होकर पुश्तैनी नहीं है जिसमें पिता के जीवनकाल में पुत्र हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड काश्तकार है जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से अपूर्णीय क्षति होनी सम्भावित हैं । इसलिये प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.12.2021 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज की जाती हैं। वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्त्तर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested